RJMR090009972012

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी	सुमन सहारण–II, आर जे एस (RJ00769)
मूल फौजदारी प्रकरण संख्या	556/2012
सी आई एस नम्बर	2439/2014
सी एन आर नम्बर	RJMR090009972012

राजस्थान राज्य बनाम देवाराम वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता

भाग प्रथम A	
परिवादी	राजु पुरी
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. देवाराम पुत्र आईदानराम (अनुपस्थित) 2. धर्माराम पुत्र बीरबलराम 3. सदिया उर्फ संजय पुत्र सुभान (मफरूर दिनांक 03.08.2024) निवासीगण गाजू पीएस कुचेरा जिला नागौर
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड एवं श्री भगवान सिंह राठौड

B	
अपराध की दिनांक	06.04.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	06.04.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	21.07.2012
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	17.11.2018, 13.12.2018
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	08.07.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	12.02.2025
निर्णय दिनांक	18.03.2025

C **अभियुक्तगण का विवरण**							
अभियुक्तगण की रैंक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	देवाराम			धारा **457, 380** भारतीय दंड संहिता	दोषसिद्ध		
2	धर्माराम			उपरोक्त	दोषमुक्त		
3	सदिया उर्फ संजय			उपरोक्त	मफरूर		

<u>भाग द्वितीय</u> <u>अभियोजन गवाहान की सूची</u>		
रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी डब्ल्यु 01	रामकिशोर	गवाह
पी डब्ल्यू 02	ओमप्रकाश	गवाह
पी डब्ल्यू 03	लाखाराम	मौतबीर फर्द गिरफतारी एवं फर्द मौका
पी डब्ल्यू 04	राजू पुरी	परिवादी
पी डब्ल्यू 05	रामेश्वर	अनुसंधान अधिकारी
पी डब्ल्यू 06	गुमानाराम	मौतबीर मौका तस्दीक फर्द गिरफ्तारी
पी डब्ल्यू 07	बाबूलाल	मौतबीर मौका तस्दीक फर्द गिरफ्तारी

अभियोजन प्रदर्श की सूची	
प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी. 1	तस्दीक घटनास्थल
प्रदर्श पी. 2	फर्द गिरफतारी देवाराम
प्रदर्श पी. 3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
प्रदर्श पी. 4	नक्शा मौका
प्रदर्श पी. 5	फर्द गिरफतारी धर्माराम
प्रदर्श पी. 6	फर्द गिरफतारी संदिया
प्रदर्श पी. 7	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम इत्तिला देवाराम
प्रदर्श पी 8	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम इत्तिला सेदिया उर्फ संजय
प्रदर्श पी 9	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम इत्तिला मोटसाइकिल
प्रदर्श पी 10	फर्द तस्दीक घटनास्थल
प्रदर्श पी 11	फर्द तस्दीक मौका सेदिया व धर्माराम
प्रदर्श पी 12	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल
प्रदर्श पी 13	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम इत्तिला देवाराम
प्रदर्श पी 14	फर्द बरामदगी दान पेटी
प्रदर्श पी 15	फर्द नक्शा बरामदगी

निर्णय

दिनांक 18.03.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी राजू पूरी मय ओमप्रकाश ने दिनांक 6.04.2012 को पुलिस थाना कुचेरा, नागौर में उपस्थित होकर एक जुबानी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मोरपा माता जी के मंदिर में पालडी जोधा में वह पुजारी है, माताजी का मंदिर गांव से 1.50 किलोमीटर पूर्व दिशा में आया है वह सुबह 5 बजे माता जी के मंदिर में पूजा करने के लिए गया तो देखा मंदिर का मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ थ व मंदिर के अंदर जाकर देखा तो मंदिर की दान पेटी गायब थी व पेटी की करीब में 4000 रूपये थे, दिनांक 05.04.2012 को रात्रि में अज्ञात चोर ने मंदिर में घुसकर ताला तोडकर दान पेटी ले गए । इस घटना की सूचना ओमप्रकाश गौड भूतपूर्व सरपंच व रामकिशोर निवासी पालडी जोधा को दी, फिर वह सभी लोग आए एवं पता करते हुए वह गांव गाजू तक पहुंचे मंदिर से खोज गांव गाजु में बावरियों के मोहल्ले तक आये तो उन्हें शक है कि मंदिर में चोरी देवाराम व धर्माराम बावरी निवासी गाजु ने की ... आदि।

2. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना, कुचेरा नागौर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 52/2012 धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया गया। दिनांक 21.07.2012 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र के आधार पर अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड

संहितामें न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।

3. दिनांक 17.11.2018 व 13.12.2018 को अभियुक्तगण को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया तो उसने आरोप सुन समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराधों को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 एवं 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाये व दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये। मुलजिम सदिया उर्फ संजय के न्यायालय में अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 03.08.2024 को मफरूर घोषित किया गया है ।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के बयान मुलजिम लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षय का गलत होना कथित करते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया।

6. न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया है कि प्रकरण में अभियोजन गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

7. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राठौड का निवेदन रहा है कि –

- ➔ प्रकरण में हालात मौका में ताला टूटने के आलामात नहीं है ।
- ➔ प्रकरण में अभियुक्तगण को नामजद नहीं किया गया है ।
- ➔ प्रकरण में जब्तशुदा सामान परिवादी का होना प्रकरण में स्थापित नहीं हुआ है ।
- ➔ प्रकरण में अभियुक्तगण की आलिप्तता दर्शित नहीं होती है ।
- ➔ उक्त गवाहान ने बरामदगी के तथ्यों की कोई ताईद न्यायालय बयानों में नहीं की है । अतः अभियुक्तगण से की गई बरामदगी प्रमाणित नहीं होती है ।
- ➔ अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करार दिया जावे।

8. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है –

(01) आया यह है कि आपने दिनांक 05.04.2012 व 06.02.2012 की दरमियानी रात्रि में किसी समय मौजा ग्राम पालडी जोधा में मोरपा माताजी के मंदिर में चोरी का अपराध करने के आशय से मंदिर के ताले तोडकर अनाधिकृत प्रवेश कर रात्रौ–प्रच्छन्न गृह अतिचार का अपराध कारित किया । एतद् द्वारा आपका कृत्य धारा 457 भादसं के तहत दंडनीय अपराध है?

(02) यह है कि आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर में से बिना परिवादी की सहमति के बेइमानीपूर्वक आशय से मंदिर में रखी दानपात्र पेटी हटाकर चोरी का अपराध कारित किया । एतद् द्वारा आपका उक्त कृत्य धारा 380 भादसं के तहत दंडनीय अपराध

है ?

(02) यदि हां तो अपराध के लिए उचित दण्ड क्या होगा?

9. इस संबंध में पत्रावली परीक्षित गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करे तो पीडब्ल्यू 04 परिवादी राजू पूरी न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि वह मोरपा माताजी मंदिर का पुजारी था ।वह दिन में 5.30–6 बजे मंदिर में पहुंचा तो वहां पर देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था और मंदिर के अंदर का सामान बिखरा हुआ था। अज्ञात चोर मंदिर के अन्दर रखी दान पात्र की पेटी व अन्य सामान चोरी करके ले गए । दान पात्र की पेटी में चार हजार रूपये थे । उक्त गवाह द्वारा जिरह में किसी को चोरी करते नहीं देखने बाबत कथन किया गया है । परन्तु गवाह द्वारा मुख्य द्वार का ताला टूटा होने दान पात्र की पेटी चोरी होने व लगभग 4 हजार रूपये चोरी होने के संबंध में किए गए कथन का किसी प्रकार कोई खंडन जिरह में नहीं होता है । उक्त गवाह चोरी करते देखने का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है, परंतु गवाह द्वारा मंदिर में सुबह पहुंचने पर मंदिर के ताले टूटे होने मंदिर की दान पेटी के चोरी के संबंध में किए गए कथन जिरह में भी खंडन नहीं होते हैं ।

10. इसी प्रकार पी डब्ल्यू 01 रामकिशोर, जिसको पी डब्ल्यू 04 राजू पूरी द्वारा ओमप्रकाश व रामकिशोर की घटना की सूचना दिए जाने का कथन किया गया है , गवाह पी डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है । उक्त गवाह द्वारा भी दिनांक 06.04.2012 को सुबह 6.00 बजे माता जी के मंदिर राजू पूरी पुजारी द्वारा टेलीफोन करके बताया कि माताजी के मंदिर में चोरी हो गयी है **एवं मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ है । दान पेटी को चोरी करके ले गए हैं । तब वह मंदिर पहुंचा, ओम प्रकाश गाड़ी भी वहां आ गए थे । उन्होंने मंदिर में घूम कर देखा तो मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोडा हुआ था और दानपेटी पेटी सहित चोरी हो गयी थी, जिसे कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया था ।** उक्त गवाह की साक्ष्य से मंदिर के आगे का ताला टूटा हआ व दानपात्र की चोरी होने के संबंध में पी डब्ल्यू 04 राजू पूरी द्वारा किए गए कथनों की ताईद होती है । उक्त् गवाह द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा दानपेटी चोरी करना बताया है । उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि उसने चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा था । अतः पी डब्ल्यू 01 व पी डब्ल्यू 04 की साक्ष्य से मोरपा माता जी के मंदिर के गेट का ताला टूटा होने व दानपात्र की पेटी की चोरी के संबंध में किए गए कथन का किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ है ।

11. पीडब्ल्यू 02 ओमप्रकाश द्वारा देवाराम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला व तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया गया है । इसी प्रकार पी डब्ल्यू 03 लाखाराम द्वारा भी देवाराम को प्रदर्श पी 2 के गिरफतार करने व घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 उसके समक्ष बनाया जाना व हस्ताक्षर करना कथन करता है ।

12. पत्रावली पर शेष रहे गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करे तो पी डब्ल्यू 06 गुमानाराम द्वारा मुलजिम सदिया की फर्द गिरफतारी व संदिया व धर्माराम द्वारा घटनास्थल का तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 व 11 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है व मोटरसाइकिल की जब्ती न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाई है । इसी प्रकार पी डब्ल्यू 07 बाबूलाल द्वारा देवाराम को प्रदर्श पी 2 के गिरफतार करने व मुलजिम धर्माराम को प्रदर्श पी 05 के स्वयं के समक्ष गिरफतार किए जाना बताया है । धर्माराम की निस्सादेही से तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 प्रदर्शित करवाया गया है व धर्माराम द्वारा मुताबिक इत्तिला अपने मकान से एक मोटरसाइकिल आर जे 21 एम 7610 जो वारदात में प्रयुक्त की गयी को बरामद करवाई जिसकी जब्ती प्रदर्श पी 12 जब्त किए जाने के संबंध में कथन किया है ।

13. पत्रावली पर धर्माराम को अपराध में आरोपित करने बाबत उसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 05, फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 11, मोटरसाइकिल जब्ती प्रदर्श पी 12 को प्रदर्शित न्यायलय के समक्ष करवाया गया है । इस संबंध में आया तस्दीक नक्शा मौका से अनंसुधान अधिकारी को किसी नवीन तथ्य की जानकारी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत हुई? इस संबंध में तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 का अवलोकन करे तो उक्त नक्शा मौका दिनांक 20.06.2012 को मुर्तीब किया गया है, जबकि तस्दीक नक्शा मौका मुर्तीब किए जाने पर पूर्व घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 अनुसंधान अधिकारी द्वार दिनांक 07.04.2012 को मुर्तीब किया जा चुका था । अतः तस्दीक नक्शा मौका के आधार पर धर्माराम से किसी नवीन तथ्य की जानकारी अनुसंधान अधिकारी को होना दर्शित नहीं होता है ।

14. इसी प्रकार फर्द जब्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 12 में मोटरसाइकिल की जब्ती धर्माराम के घर से होना बताया गया है । उक्त मोटरसाइकिल मोरपा माताजी मंदिर में दानपात्र की पेटी की चोरी के संबंध में अभियुक्तगण द्वारा उपयोग की गई हो , इस संबंध में किसी भी प्रकार साक्षी द्वारा कथन नहीं किए गए हैं । अतः केवल मात्र फर्द जब्ती प्रदर्श पी 12 मोटरसाइकिल की बरामदगी के आधार पर धर्माराम का मंदिर के ताले तोड़ने व दानपात्र की पेटी चोरी करने से संबंधित होना दर्शित नहीं होता है । अतः धर्माराम के विरूद्ध तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 11, जिससे अनुसंधान अधिकारी को किसी नवीन तथ्यों की जानकारी नहीं होती है । प्रदर्श पी 12 फर्द जब्ती मोटरसाइकिल से किस प्रकार से चोरी की घटना से मोटरसाइकिल संबंधित थी, के संबंध में किसी भी लिंक साक्ष्य के अभाव में न्यायालय धर्माराम को आरोपित अपराध के तहत दोषी होना नहीं पाता है ।

15. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर धर्माराम द्वारा कृत्य किए जाने के संबंध में किसी भी गवाह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखने के संबंध में कोई कथन नहीं किए हैं ।

16. जहां तक अभियुक्त देवाराम द्वारा घटना कारित किए जाने का संबंध है, प्रकरण में

अनुसंधान अधिकारी पी डब्ल्यू 05 रामेश्वर द्वारा देवाराम को फर्द प्रदर्श पी 2 गिरफतार करने मंदिर में जिस स्थान पर चोरी की थी, उसके संबंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला पर प्रदर्श पी 7 के न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है । इसी प्रकार मुलजिम देवाराम द्वारा घटनास्थल की तस्दीक रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है । मुलजिम देवाराम द्वारा दिनांक 09.04.2012 को धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी कि उसने चोरी की गई दान पेटी अपने घर गाजू में छिपा रखी है, जो इत्तिला प्रदर्श पी 13 को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है । मुताबिक इत्तिला देवाराम के अपने गांव गाजू में रहवासी के घर के कोने में रखी मोरफा मंदिर, पालड़ी जोधा से चुराई गई, दानपेटी बरामद करवाई, जिसका निरीक्षण कर जरिए फर्द प्रदर्श पी 14 कब्जे पुलिस में ली गई , जिस पर जय माता दी ऊँ दान पेटी लाल रंग की से लिखा हुआ था । व बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया है । गवाह द्वारा दान पेटी को सुरक्षित मालखाना में रखवाए जाने का कथन किया है । न्यायालय के समक्ष उक्त दान पेटी को आर्टिकल 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है , जिस पर लगी चीट चेपा प्रदर्श पी 16 इस न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाई गई है ।

17. जिरह में गवाह का अवलोकन करे तो यह दर्शित होता है कि देवाराम से पेटी की बरामदगी के तथ्य का किसी भी प्रकार से खंडन साक्ष्य में नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त दानपेटी, जिसके ऊपर जय माता दी अंकित किया गया है, ऐसी दान पेटी ऐसी वस्तु नहीं है, जो प्रत्येक घर में काम में ली जाती हो । ऐसी स्थिति में दानपेटी पर अभियुक्त के कब्जे के संबंध में अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम या बचाव साक्ष्य के जरिए उक्त कब्जे के तथ्य को खंडित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है ।

18. अतः न्यायालय अनुसंधान अधिकारी पी डब्लयू 05 रामेश्वर की साक्ष्य से अभियुक्त देवाराम की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला के अनुसार जरिए प्रदर्श पी 14 दान पेटी की बरामदगी को प्रमाणित पाता है । जहां तक प्रदर्श पी 14 दान पेटी के अन्य गवाहान की परीक्षण का संबंध है, गवाह पन्ने सिंह व बालाराम की मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त होने से गवाहान की तलबी बंद की जा चुकी है एवं गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है । परन्तु अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्ती के संबंध में किए गए कथन जिरह में खंडित नहीं होते हैं ।

19. अतः न्यायालय उक्त जब्ती को पूर्ण रूप से प्रमाणित पाता है । मंदिर से उक्त दानपेटी को मुख्य गेट का ताला तोड कर ले जाने के संबंध में गवाह पी डब्लयम 01 रामकिशोर व पी डब्लयू 04 राजू पूरी द्वारा मंदिर का ताला तोडकर व अन्य सामान ले जाने के संबंध में किए गए कथन भी जिरह में खंडित नहीं होता हैं । अतः न्यायालय अभियुक्त देवाराम को धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त देवाराम द्वारा

दिनांक 05.04.2012 व 06.02.2012 की दरमियानी रात्रि में किसी समय मौजा ग्राम पालडी जोधा में मोरपा माताजी के मंदिर में चोरी का अपराध करने के आशय से मंदिर के ताले तोडकर अनाधिकृत प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन का अपराध कारित किया । उक्त दिनांक, समय व स्थान पर में से बिना परिवादी की सहमति के बेइमानीपूर्वक आशय से मंदिर में रखी दानपात्र पेटी हटाकर चोरी का अपराध कारित किया । अतः अभियुक्त देवाराम को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध करार दिया जाता है एवं अभियुक्त धर्माराम को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

आदेश

20. अतः अभियुक्त देवाराम पुत्र आईदानराम को धारा **457, 380** भारतीय दण्ड संहिता के आरोप हेतु दोषी करार दिया जाता है एवं धर्माराम पुत्र बीरबलराम निवासी गाजू को अंतर्गत धारा 457, 380 भादसं के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार किया जाता है । अभियुक्त धर्माराम के न्यायालय के उपस्थिति हेतु निष्पादित जमानत और बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं ।

21. अभियुक्तगण को धारा **437 (ए)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय में हाजिरी हेतु 6 माह तक वैध दस हजार रूपए का स्वयं का बंध पत्र और इसी कदर राशि की एक जमानत पेश कर तस्दीक कराने का आदेश पूर्व में दिया गया था ।

(सुमन साहरण–II)

22. सजा के प्रश्न पर सुना गया । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि का अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। सन् 2012 से अन्वीक्षा का सामना कर रहा है। वरवक्त घटना अभियुक्त की आयु 22 वर्ष थी । अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे एवं उसको परिवीक्षा पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है। जबकि इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियुक्त को दोषसिद्धि के अनुसार विधि द्वारा विहित दण्ड से दंडित किया जावे ।

23. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। इस प्रकरण में अभियुक्त देवाराम को धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है। इस प्रकरण में अभियुक्त देवाराम द्वारा पालड़ी जोधा में स्थित माता जी के मंदिर में रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन कारित किए जाने एवं वहां से दान–पेटी जिसमें करीब चार हजार रुपए थे, को बिना परिवादी की सहमति के चोरी कर

लेने बाबत आरोप साबित पाया गया है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा नहीं किया जाकर निम्नानुसार दंड दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

24. अतः अतः अभियुक्त देवाराम पुत्र आईदानाराम निवासी गाजू पी एस कुचेरा जिला नागौर सिद्धदोष अपराधों हेतु निम्नानुसार दंडित किया जाता है–

दोषसिद्ध अपराध	कारावास जो दिया गया है	अधिरोपित अर्थदण्ड	अर्थदण्ड की अदायगी नहीं करने की दशा में अतिरिक्त भुगताया जाने वाला दण्ड
457 भारतीय दण्ड संहिता	तीन वर्ष का साधारण कारावास	पाँच हजार रुपए	एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
380 भारतीय दण्ड संहिता	दो वर्ष का साधारण कारावास	पाँच हजार रुपए	एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

25. अभियुक्त देवाराम को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाता है, अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में से समायोजित की जावे। सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी । निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे । अभियुक्त देवाराम का सजा वारंट अलग से बनाया जावे ।

26. मुलजिम सदिया उर्फ संजय को दिनांक 03.08.2024 को मफरूर घोषित किया गया है । अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि मुलजिम सदिया उर्फ संजय मफरूर है, पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे ।

(सुमन सहारण –II)

27. निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सहारण–II)